समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, समाहरणालय, मधेपुरा ने अपने पत्रांक शून्य दिनांक 29-03-2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि विधि व्यवस्था कोषांग, मधेपुरा के संयुक्त आदेश ज्ञापांक 911/गो0, दिनांक 28-03-2014 के द्वारा लोक सभा आम चुनाव-2014 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दिनांक 29.03.2014 को माणिकपुर चौक पर सशस्त्र बल के साथ प्रतिनियुक्त प्रभारी दंडाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों की सघन जाँच/ तलाशी ली जा रही थी, के क्रम में गाड़ी संख्या-बी.आर.-11एम.-4647 की जाँच की गई, जिस पर बैठे श्री अनन्त कुमार पे0 स्व0 दुन्नी लाल मंडल, सा0 ईसराईन खूर्द, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा के पास से एक लाइसेंसी रिवाल्वर एवं 80,000/-रू0 पाया गया। श्री कुमार ने बताया कि अपने पुत्र को रुपया भेजने हेतु निकासी की गई है। जाँच करने पर शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-3216(कुमारखंड थाना), रिवाल्वर सं0-95706, अनुज्ञप्ति वर्ष 2013 तक नवीकृत एवं निरीक्षण अंचल अधिकारी, कुमारखंड द्वारा 15.03.2014 अंकित पाया गया। उक्त अनुज्ञप्ति अगामी वर्ष के लिए नवीकृत नहीं रहने के कारण लोक सभा चुनाव-2014 को देखते हुए तत्क्षण संबंधित थाना या गन हाउस में जमा करने का निदेश अनुज्ञप्तिधारी को दिया जा चुका है।

श्री अनन्त कुमार पे0 स्व0 दुन्नी लाल मंडल, सा0 ईसराईन खूर्द, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा ने दिनांक 29-03-2014 को लिखित आवेदन पत्र समर्पित कर अपने नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष 2014 के लिए करने का अनुरोध किया है। समय पर नवीकरण नहीं कराए जाने का कारण बीमार रहना एवं दिल्ली के गंगा अस्पताल में ईलाजरत रहना बताया है। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 15-03-2014 को अंचल अधिकारी, कुमारखंड द्वारा किया हुआ है।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समर्पित बायोडाटा में अंकित सूचना के अनुसार इन्हें दो शस्त्रों का अनुज्ञप्तियाँ यथा एन.पी.बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-3216 पर धारित शस्त्र सं0-95706 एवं दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-01/2002 पर धारित शस्त्र सं0-03216/49 प्रदत्त है। दोनों अनुज्ञप्तिपुस्तों की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनका शस्त्र अनुज्ञप्ति वर्ष 2013 तक नवीकृत है। इन्होंने शस्त्र कार्यालय में इससे पूर्व नवीकरण के लिए कोई आवेदन पत्र समर्पित नही किया है। बिना अनुज्ञप्ति नवीकृत कराए शस्त्र का परिचालन कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, कुमारखंड एवं थाना अध्यक्ष, कुमारखंड ने अपने पत्रांक 294-2 दिनांक 19-03-2014 के द्वारा समर्पित संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनका दोनों अनुज्ञप्ति दिनांक 15-03-2014 को सत्यापन किया गया है, जिससे आवेदक के भौतिक सत्यापन संबंधी कथन की पुष्टि होती है। समयावधि बीत जाने के बाद भी अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए प्रयास नहीं किए जाने एवं बिना अवधि विस्तार के शस्त्र लेकर घुमना अनुज्ञप्ति शर्त्त-9ए एवं शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 का उल्लंघन है।

अतएव आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकृत करते हुए शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए **श्री अनन्त कुमार पे0 स्व0 दुन्नी लाल मंडल, सा0 ईसराईन खूर्द, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा** के नाम से निर्गत **एन.पी.बोर.रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-3216 एवं दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-01/2002** को तत्कालिक प्रभाव से **"निलंबित"** किया जाता है तथा अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र तत्क्षण संबंधित थाना अथवा मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में एवं अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

साथ ही अनुज्ञप्ति ससमय नवीकरण नहीं कराए जाने एवं बिना अवधि विस्तार कराए शस्त्र लेकर घुमने के आरोप में अनुज्ञप्तिधारी श्री अनन्त कुमार अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 05-04-2014 को 3.30 बजे अप0 में उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में ऐसा समझा जाऐगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाऐगी।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री कुमार द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में **"निलंबित"** प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 162 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 31-3-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडा0, मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, कुमारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अनन्त कुमार पे0 स्व0 दुन्नी लाल मंडल, सा0 ईसराईन खूर्द, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

31/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।